

मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
// आदेश //

भोपाल, दिनांक 6 /10/2018

क्रमांक 225/378/2018/ई/चार, इस विभाग के आदेश क्रमांक एफ-5(ए)/2/2017/ई/चार, दिनांक 3.5.2018 द्वारा श्री ओ.पी.बागड़ी, वरिष्ठ लेखाधिकारी, नगर पालिक निगम, बुरहानपुर को स्थानांतरित कर वित्त अधिकारी, जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर में पदस्थ किया गया है।

2/ श्री बागड़ी द्वारा आदेश अनुपालन में आज दिनांक तक स्थानांतरित स्थल पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है। प्रशासकीय दृष्टि से पद की पूर्ति किये जाने हेतु अन्य अधिकारी की पदस्थापना किया जाना आवश्यक है। अतः श्री बागड़ी को वित्त अधिकारी जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर के स्थान पर अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक संचालनालय, कोष एवं लेखा, भोपाल में उप संचालक के पद पर पदस्थ किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार,

(मनोज कुमार जैन)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग
भोपाल दिनांक 6 /10/2018

पृष्ठांकन क्रं. /378/2018/ई/चार,

प्रतिलिपि :-

01. माननीय वित्त मंत्रीजी के विशेष सहायक,
 02. प्रमुख सचिव, वित्त निज सहायक,
 03. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, कृषि विभाग, मंत्रालय,
 04. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के निज सहायक,
 05. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, भोपाल/ग्वालियर,
 06. कुलपति, जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर,
 07. आयुक्त कोष एवं लेखा, म.प्र. भोपाल,
 08. कलेक्टर, जबलपुर (म.प्र.)।
 09. संभागीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा, जबलपुर,
 10. श्री ओ.पी.बागड़ी, उप संचालक (वित्त) द्वारा-आयुक्त, कोष एवं लेखा, भोपाल।
 11. गार्ड फाईल,
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(विजय कठाने)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

// आ दे श //

भोपाल, दिनांक 04/10/2018

क्रमांक:एफ-5 (ए)/2/2017/ई/चार, राज्य शासन एतद द्वारा मध्यप्रदेश वित्त सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों को स्थानान्तरित करते हुए अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक कॉलम (4) में उल्लेखित पदस्थापना स्थल पर पदस्थ किया जाता है :-

क्र	अधिकारी का नाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
1	2	3	4
4	श्री पी.के.सिंह	संयुक्त संचालक, संचालनालय, कोष एवं लेखा, भोपाल (पदस्थापना हेतु प्रतीक्षारत)	संभागीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा, रीवा
5	श्री दुखीराम महोबिया	संभागीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा, रीवा	वित्त नियंत्रक, जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर

उपरोक्त अधिकारियों को स्थानान्तरण के फलस्वरूप तीन दिवस के पश्चात एक तरफा कार्यमुक्त माना जाएगा। समयावधि में कार्यभार ग्रहण न करने के फलस्वरूप उक्त अधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(मनोज कुमार जैन)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग
भोपाल, दिनांक 06/10/2018

पृष्ठांकन क्रमांक:एफ-5 (ए)/2/2017/ई/चार
प्रतिलिपि :-

01. वित्त मंत्रीजी के विशेष सहायक,
 02. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग के निज सहायक
 04. आयुक्त, कोष एवं लेखा, भोपाल,
 05. रजिस्ट्रार, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर
 06. संभागीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा, रीवा/जबलपुर,
 07. वरिष्ठ/जिला कोषालय अधिकारी, जबलपुर/रीवा,
 9. संबंधित अधिकारीगण-----
 10. गार्ड फाईल।
- संबंधित विभागाध्यक्ष की ओर अप्रेषित कर अनुरोध है कि संबंधित अधिकारियों को नवीन पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कार्यमुक्त किया जावे।


मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

// आदेश //

भोपाल, दिनांक 06/10/2018

क्रमांक/ 2212/2162//2453/2018/ई/चार, विभागीय आदेश क्रमांक/
2147//2168/2018/ई/चार, भोपाल दिनांक 28.09.2018 द्वारा श्री राहुल बगवार, मध्यप्रदेश
अधीनस्थ लेखा सेवा अधिकारी, सहायक पेंशन अधिकारी, जिला पेंशन कार्यालय देवास का उप प्रबंधक,
दी प्रोविडेंट फण्ड इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड, मुंबई /भोपाल किया गया स्थानान्तरण एतद् द्वारा निरस्त
किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(मनोज कुमार जैन)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग
भोपाल, दिनांक 06/10/2018

पृष्ठांकन क्रमांक/ 2212/2168/2018/ई/चार,
प्रतिलिपि :-

01. वित्त मंत्रीजी के विशेष सहायक,
02. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग के निज सहायक
03. प्रबंध संचालक, दी प्रोविडेंट फण्ड इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड, मुंबई,
04. महा प्रबंधक, दी प्रोविडेंट फण्ड इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड, मुंबई,
05. आयुक्त, कोष एवं लेखा, भोपाल,
06. संचालक, पेंशन भविष्य निधि एवं बीमा, भोपाल,
07. संभागीय पेंशन अधिकारी, उज्जैन,
08. जिला पेंशन अधिकारी, देवास,
09. जिला कोषालय अधिकारी, देवास
10. संबंधित श्री राहुल बगवार, सहायक पेंशन अधिकारी, जिला पेंशन कार्यालय देवास,
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
// आ दे श //

भोपाल, दिनांक 06/10/2018

क्रमांक/2212/2162/2453/2018/ई/चार, राज्य शासन एतद द्वारा मध्यप्रदेश वित्त सेवा के निम्नलिखित अधीनस्थ लेखा सेवा अधिकारियों को स्थानान्तरित करते हुए अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक कॉलम (4) में उल्लेखित पदस्थापना स्थल पर पदस्थ किया जाता है :-

क्र	अधिकारी का नाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
1	2	3	4
1	श्री दीपेश राज	कनिष्ठ लेखा अधिकारी, आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएं, भोपाल	उप प्रबंधक, दी प्रोविडेंट इन्वेस्टमेंट कंपनी, लिमिटेड मुंबई/भोपाल (प्रतिनियुक्ति पर)
2	श्री प्रणव नागले	सहायक पेंशन अधिकारी, संभागीय पेंशन कार्यालय, भोपाल	उप प्रबंधक, दी प्रोविडेंट इन्वेस्टमेंट कंपनी, लिमिटेड मुंबई/भोपाल (प्रतिनियुक्ति पर)

उपरोक्त अधिकारियों को स्थानान्तरण के फलस्वरूप तीन दिवस के पश्चात एक तरफा कार्यमुक्त माना जाएगा। समयावधि में कार्यभार ग्रहण न करने के फलस्वरूप उक्त अधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

Manoj Kumar Jain
06.X.2018
(मनोज कुमार जैन)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग
भोपाल, दिनांक 06/10/2018

पृष्ठांकन क्रमांक/2212/2162/2453/2018/ई/चार,
प्रतिलिपि :-

01. वित्त मंत्रीजी के विशेष सहायक,
02. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग के निज सहायक
03. प्रबंध संचालक, दी प्रोविडेंट फण्ड इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड, मुंबई ,
04. महा प्रबंधक, दी प्रोविडेंट फण्ड इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड, मुंबई ,
05. आयुक्त, कोष एवं लेखा, भोपाल,
06. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएं भोपाल,
07. संचालक, पेंशन भविष्य निधि एवं बीमा , भोपाल,
08. संभागीय पेंशन अधिकारी, भोपाल ,
10. वरिष्ठ कोषालय अधिकारी, विन्ध्याचल/वल्लभ भवन, भोपाल,
11. संबंधित श्री.....

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

Manoj Kumar Jain
06.X.2018
उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग